विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfkpgupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

परिवाद संख्याः– 79/2026–27

परिवाद योजित तिथि –14.08.2026
अंतिम सुनवाई तिथि– 08.09.2026
निर्णय उद्घघोषित तिथि–08.09.2026

श्रीमती भू देवी वार्ड न0–04 गौचर.....परिवादी।

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैण.....विपक्षी।

कोरम–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री अनिल वर्मा–तकनीकि सदस्य।
श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से..... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित।

उद्घघोषित द्वारा :–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा–तकनीकि सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्रीमती भू देवी वार्ड न0–04 गौचर, ने दिनांक 18.08.2026 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि विभाग द्वारा प्रार्थिनी को उसकी विद्युत आपूर्ति से अधिक बिल दिया जा रहा है प्रार्थिनी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 08.09.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग द्वारा मंच को अवगत किया गया कि परिवादी को मीटर रीडिंग के अनुसार ही विद्युत बिल दिए जा रहे हैं।
3. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि विभाग द्वारा परिवादी को मीटर रीडिंग के अनुसार ही विद्युत बिल निर्गत किये जा रहे हैं, एवं यदि परिवादी को मीटर रीडिंग के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शंका है तो परिवादी अपने संयोजन पर चेक मीटर हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार करते हुए मंच द्वारा परिवादी को आदेशित किया जाता है कि वह विपक्षी विभाग में अपने संयोजन पर चेक मीटर लगाने हेतु नियमानुसार आवेदन करें एवं विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी द्वारा आवेदन करने पर नियमानुसार कार्यवाही करें। तदानुसार परिवाद निरस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

अनिल वर्मा
(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfkpgupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

परिवाद संख्याः– 55 / 2026–27

परिवाद योजित तिथि –14.08.2026
अंतिम सुनवाई तिथि– 08.09.2026
निर्णय उद्घघोषित तिथि–08.09.2026

श्री बलवन्त सिंह ग्राम व पो0–आदिबद्री,.....परिवादी।

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैण.....विपक्षी।

कोरम–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री अनिल वर्मा–तकनीकि सदस्य।
श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से..... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित।

उद्घघोषित द्वारा :–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा–तकनीकि सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री बलवन्त सिंह ग्राम व पो0–आदिबद्री, ने दिनांक 14.08.2026 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि विभाग द्वारा प्रार्थी को गलत मीटर रीडिंग का बिल दिया जा रहा है प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 08.09.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग द्वारा मंच को अवगत किया गया कि परिवादी का विद्युत बिल संशोधित कर परिवादी को प्रेषित कर दिया गया है।
3. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि विभाग द्वारा परिवादी के परिवाद का समाधान कर संशोधित विद्युत बिल प्रेषित कर दिया गया है जिससे परिवादी संतुष्ट है।

आदेश

परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान विपक्षी विभाग द्वारा कर दिया गया है। तदानुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

अखिल वर्मा
(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfkpgupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

परिवाद संख्याः– 57/2026–27

परिवाद योजित तिथि –14.08.2026
अंतिम सुनवाई तिथि– 08.09.2026
निर्णय उद्घघोषित तिथि–08.09.2026

श्री चन्द्रशेखर खण्डूड़ी ग्राम व पो0–आदिबद्री,.....परिवादी।

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैण.....विपक्षी।

कोरम–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री अनिल वर्मा–तकनीकि सदस्य।
श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से..... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित।

उद्घघोषित द्वारा :–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा–तकनीकि सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री चन्द्रशेखर खण्डूड़ी ग्राम व पो0–आदिबद्री, ने दिनांक 14.08.2026 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि विभाग द्वारा प्रार्थी के बिल में बकाया धनराशि दर्शायी गई है, प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 08.09.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग द्वारा मंच को अवगत किया गया परिवादी द्वारा फरवरी 2026 के बाद कोई भी विद्युत बिल की धनराशि भुगतान नहीं की गई है एवं परिवादी को मीटर रीडिंग के अनुसार ही विद्युत बिल दिए जा रहे हैं।
3. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि विभाग द्वारा परिवादी को मीटर रीडिंग के अनुसार ही विद्युत बिल निर्गत किये जा रहे हैं, एवं परिवादी द्वारा फरवरी 2026 के बाद कोई भी विद्युत बिल की धनराशि भुगतान नहीं की गई है जिससे विपक्षी द्वारा विद्युत बिल में बकाया धनराशि दर्शायी गई है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण पोषणीय नहीं है। परिवाद बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

अनिल वर्मा
(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

परिवाद संख्याः– 62 / 2026–27

परिवाद योजित तिथि –23.07.2026
अंतिम सुनवाई तिथि– 08.09.2026
निर्णय उद्घघोषित तिथि–08.09.2026

श्री मोहन चन्द्र तल्ली डाटपुल पॉलिटेक्निक गौचर,.....परिवादी।

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैण.....विपक्षी।

कोरम–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री अनिल वर्मा–तकनीकि सदस्य।
श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से..... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित।

उद्घघोषित द्वारा :–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा–तकनीकि सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री मोहन चन्द्र तल्ली डाटपुल पॉलिटेक्निक गौचर, ने दिनांक 14.08.2026 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि विभाग द्वारा प्रार्थी को उसकी विद्युत आपूर्ति से अधिक का विद्युत बिल दिया जा रहा है प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 08.09.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग द्वारा मंच को अवगत किया गया कि परिवादी को मीटर रीडिंग के अनुसार ही विद्युत बिल दिए जा रहे हैं।
3. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि विभाग द्वारा परिवादी को मीटर रीडिंग के अनुसार ही विद्युत बिल निर्गत किये जा रहे हैं जिससे परिवाद खारिज करने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण पोषणीय नहीं है। परिवाद बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

अनिल वर्मा
(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

परिवाद संख्याः– 77/2026–27

परिवाद योजित तिथि –23.07.2026
अंतिम सुनवाई तिथि– 08.09.2026
निर्णय उद्घघोषित तिथि–08.09.2026

श्री मयंक सिंह नेगी ग्राम–पलसारी पो0–गौचर,.....परिवादी।

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैण.....विपक्षी।

कोरम–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री अनिल वर्मा–तकनीकि सदस्य।
श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से..... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित।

उद्घघोषित द्वारा :–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा–तकनीकि सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री मयंक सिंह नेगी ग्राम–पलसारी पो0–गौचर, ने दिनांक 17.08.2026 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि विभाग द्वारा प्रार्थी को उसकी विद्युत आपूर्ति से अधिक का विद्युत बिल दिया जा रहा है प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 08.09.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग द्वारा मंच को अवगत किया गया कि परिवादी के परिवाद का समाधान कर दिया गया है।
3. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि विभाग द्वारा परिवादी के परिवाद का समाधान कर दिया गया है जिसमें परिवादी द्वारा मंच के सम्मुख अपनी संतुष्टि जताई गई।

आदेश

परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान विपक्षी विभाग द्वारा कर दिया गया है। तदानुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

अनिल वर्मा
(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

परिवाद संख्याः– 78 / 2026–27

परिवाद योजित तिथि –23.07.2026
अंतिम सुनवाई तिथि– 08.09.2026
निर्णय उद्घघोषित तिथि–08.09.2026

श्री मयंक सिंह नेगी ग्राम–पलसारी पो0–गौचर,.....परिवादी।

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैण.....विपक्षी।

कोरम–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री अनिल वर्मा–तकनीकि सदस्य।
श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से..... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित।

उद्घघोषित द्वारा :–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा–तकनीकि सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री मयंक सिंह नेगी ग्राम–पलसारी पो0–गौचर, ने दिनांक 17.08.2026 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि विभाग द्वारा प्रार्थी को उसकी विद्युत आपूर्ति से अधिक का विद्युत बिल दिया जा रहा है प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 08.09.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग द्वारा मंच को अवगत किया गया कि परिवादी के परिवाद का समाधान कर दिया गया है।
3. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि विभाग द्वारा परिवादी के परिवाद का समाधान कर दिया गया है जिसमें परिवादी द्वारा मंच के सम्मुख अपनी संतुष्टि जताई गई।

आदेश

परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान विपक्षी विभाग द्वारा कर दिया गया है। तदानुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

अनिल वर्मा
(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL